न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 2162-एक/2011 निगरानी - विरूद्ध - आदेश 10-8-2011 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 207/2008-09 अपील

महन्त सियारामशरण शिष्य महंत रामदेवशरण
निवासी हनुमत भवन, गोलाघाट अयोध्या
जिला फैजावाद उत्तर प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

संतशरण चेला पुरूषोत्तमदास निवासी
जानकीवल्लभ निवास लक्ष्मण घाट
अयोध्या जिला फैजावाद उत्तरप्रदेश ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17- 10 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के 207/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-8-2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार भाण्डेर जिला दतिया के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि स्वर्गीय महंत रामदेवशरण के नाम ग्राम खिरिया आलम में कुल किता 10 कुल रकबा 4-23 हैक्टर में हिस्सा 1/2 एंव अन्य भूमि किता 3 रकबा 3-96 है. (आगे जिन्हें वाद विचारित भूमि अंकित किया गया है) भूमि थी, जिस पर विवाद प्रचलित

रहने से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 236/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2004 से निर्णय दिया गया है। निर्णय के प्रकाश में नामान्तरण कार्यवाही की जावे। तहसीलदार भाण्डेर ने प्रकरण क्रमांक 5/2004-05 अ-6 पॅजीबद्ध किया तथा अनावेदक की अनुपस्थिति पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई एंव आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 28-3-2005 पारित किया तथा वाद विचारित भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 16/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-11-2008 से निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालिय ने प्रकरण क्रमांक 207/08-09 अपील **में पारित आदेश दिनांक 10-8-2011** से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की तथा निर्णीत कर तहसीलदार भाण्डेर को निर्देशित किया कि मान. दशम अपर जिला न्यायाधीश फैजावाद एंव माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के व्दारा जो आदेश पारित होंगे, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का सही प्रयोग नहीं किया है। तहसीलदार ने प्रकरण में आये तथ्यों एंव साक्षीगण के कथनों के आधार पर स्वर्गीय महंत रामदेवशरण के स्थान पर आवेदक का सही नामांत्रण किया है। अनावेदक का स्वर्गीय महंत रामदेवशरण से कोई संबंध नहीं है और न ही वह उनका कभी चेला रहा है। सन्यासिंयों में गुरू-चेला परम्परा अनुसार आवेदक का सही नामान्तरण किया गया है जिस पर विचार नहीं किया गया। समस्त संपत्ति हनुमत भवन के अधीन है एंव हनुमत भवन के स्वर्गीय रामदेवशरण महन्त थे जिनकी मृत्यु के वाद आवेदक महन्त चुना गया है जिसे अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है इसलिये अपर

आयुक्त का आदेश निरस्त कर तहसीलदार भाण्डेर के प्रकरण क्रमांक 5/2004-05 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 28-3-2005 को यथावत् किया जावे। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि स्वर्गीय महंत रामदेवशरण व्दारा छोड़ी गई विवादित भूमि पर उभय पक्ष के बीच गुरू-शिष्य वावत् विवाद है और यही विवाद उभय पक्ष के बीच मान. दशम अपर जिला न्यायाधीश फैजावाद एंव माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद में प्रचलित है । जब तक स्वर्गीय मंहत रामदेवशरण व्दारा छोडी गई संपत्ति पर माननीय मान. दशम अपर जिला न्यायाधीश फैजावाद एंव माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद में प्रचलित प्रकरणों का अंतिम निवटारा नहीं हो जाता, स्वर्गीय मंहत रामदेवशरण व्दारा छोड़ी गई संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का नामान्तरण करना न्याय की परिधि में नहीं माना जावेगा। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 207/08-09 अपील **में पारित आदेश दिनांक 10-8-2011 में** विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिये है जिनसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है और इन्हीं कारणों से विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

6/ **उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव** अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 207/08-09 अपील **में पारित आदेश दिनांक 10-8-2011 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।**

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर